

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद, दग्धपुर, जयपुर-302018 दर्शन नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(123)RSSB/अर्थना/ICDS(WCD)/पर्य. महिला/सी.म./ 2023/2136

दिनांक: 13.02.2024

विज्ञापन संख्या 05/2024

— पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती—2024—

तमेकित बाल विकास सेवाएं (महिला एवं बाल विकास विभाग) राजस्थान के लिये राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998, यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अन्वर्षत पर्यवेक्षक (महिला) के कुल 209 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 164 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 45) पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)–2022 में समिलित केवल महिला अन्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।

अन्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश :-

(1) राज्य सरकार के आदेश पत्रांक:-पं. 7(3) कार्मिक / क-2/2021 जयपुर, दिनांक 23.05.2022 की पात्रता में समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)–2022 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अन्यर्थियों के स्कोर कार्ड दिनांक 28.04.2023 को जारी किये गये हैं।

समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)–2022 की पात्रता परीक्षा में समिलित वे अन्यर्थी जो पर्यवेक्षक (महिला) के पदों की योग्यता रखते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने सकते हैं। इन आवेदन भरने वाले अन्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)–2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुणा न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अन्यर्थी पर्यवेक्षक (महिला) के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 एवं पत्र दिनांक 09.05.2023 के कम में न्यूनतम तांक अवधारित करते समय, भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के प्रदूष गुना अन्यर्थी, इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु उक्त शृंखला में उन समस्त अन्यर्थी को जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा छिप्ती निम्नतर शृंखला के लिए नियत किये जायें, समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

परन्तु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि, समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पद पर पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा में उपरिख्यत होने के सावधारण मानक के आधार पर आवश्यक प्रवर्ग वाले अन्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आवश्यक प्रवर्ग वाले अन्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक का लागू किया जा सकेगा ताकि उस प्रवर्ग में के अन्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा में उपरिख्यत होने को लिए उपलब्ध हो। इस प्रयोजन के लिए, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के प्रदूष गुना की विचार की संख्या सीमा शिथिल मानी जायेगी। तथापि, लिखित परीक्षा में उपरिख्यत होने के लिए, इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अहित अन्यर्थी, केवल उनके प्रवर्गों के लिए आवश्यक पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे।

(2) Online Application Form में समस्त यांचित सूचना अवश्य अप्लिकेशन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सूचार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. **ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:**—बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-प्रियंका कियोस्टर/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अन्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अन्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होती :-

- 1.ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> अथवा <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अन्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अन्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एक्यारीय फंडीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अन्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी (Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH)) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति य गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अन्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी नहीं श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति य गृह राज्य के अनुलेप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। अतः अन्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अन्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अन्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET (Graduation)-2022 का ऑनलाइन

आवेदन पत्र क्रमांक (Application No.) दर्ज करना होगा। CET (Graduation) परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिर्टिफिकेशन CET (Graduation) के डाटा से Verify किया जायेगा। Verify हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं, प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को साक्षात्कारी पूर्वक भरनी होंगी। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो (01 माह से अधिक पुरानी न हो) अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह (visible mark) भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को स्वयं की घटनाको आवेदन पत्र में सत्यापित बताना होगा जिस द्वारा उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा:-

i. आधार कार्ड आधारित सत्यापन:-

- यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जनरेट करता है, तो और उसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
- यदि OTR (One Time Registration) SSO / जन-आधार के माध्यम से जनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा:-
○ आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जावेगा।

ii. यदि आधार कार्ड नहीं है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इसे हेतु निर्धारित राहमति की घोषणा करनी होगी।

घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर रख्यां के नाम, पिताजी के नाम, और जन्मतिथि (प्रोफाइल विवरण) को सत्यापित करेगा:-

- I. मूल प्रमाण पत्र विकल्प:- उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा उसके पश्चात फिल्ड बटन पर क्लिक करने पर डोमेनाइल / बोनाफाईड प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र) के डाटा से सत्यापित किया जाएगा।
- II. डिजिलॉनिकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प:-उम्मीदवार अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नं० व उत्तीर्ण वर्ष दर्ज कर रख्यां सत्यापित करेगा।
- III. यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी:-“मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से ढेर घटे पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपरिषित होऊँगा/होऊँतीं”।

उक्तानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं, प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को साक्षात्कारी पूर्वक भरनी होंगी। ई-मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई गलती को आवेदक की गलती माना जावेगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।

2. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
3. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation के लिए रहने वाला सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
4. आवेदक अपने स्वयं का ही भोकाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज भोकाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही जेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन नान्य नहीं किया जायेगा।
5. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र खीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
6. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Help desk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
8. अभ्यर्थी द्विना कार्यालय में उपरिषित हुए अपनी समस्याओं/शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ़ी नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की शुल्क सुविधा है।
9. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
10. समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in एवं rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित/सुचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।

2. एकबारीय पंजीयन शुल्क:—कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) अधीक्षण पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित हैं—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा कराये।

- (क) सामान्य वर्ग व कीमतेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रुपये 600/-
- (ख) राजस्थान के नॉन कीमतेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —रुपये 400/-
- (ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु—रुपये 400/-

नोट—

- राजस्थान राज्य रो भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग वा अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
- पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करता चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।

3. पर्यावेक्षक (महिला) के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है—

(क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र

कुल पद	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अति पिछड़ा वर्ग			वर्तिक सर से कमज़ोर वर्ग			सामान्य जनजाति की सामान्य महिला विधायिका परिवर्तन			
	सामान्य महिला	विद्या	परिवर्तन	सामान्य महिला	विद्या	परिवर्तन	सामान्य महिला	विद्या	परिवर्तन	सामान्य महिला	विद्या	परिवर्तन	सामान्य महिला	विद्या	परिवर्तन	सामान्य महिला	विद्या	परिवर्तन	सामान्य महिला	विद्या	परिवर्तन	
164	46	03	0	20	01	0	43	03	0	25	02	0	06	0	0	12	1	0	2	0	0	0

नोट— गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिला के 29 एवं विधवा का 02 पद बैकलॉग के हैं, जो ऊपर वर्णित अनुसूचित जनजाति के पदों में शामिल हैं।

दैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)										
विशेष योग्यजन					भूतपूर्व सौनिक					उत्कृष्ट लिलाडी
B/LV	HI	LD/CP	MI&MD	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
02	01	01	01	06	02	05	03	01	01	
02	01	01	01	06	02	05	03	01	01	

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

कुल पद	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	सामान्य महिला	विद्या	परिवर्तन	सामान्य महिला	विद्या	परिवर्तन	सामान्य महिला	विद्या	परिवर्तन
45	20	01	00	02	00	00	21	01	00

नोट— अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिला के 5 पद बैकलॉग के हैं, जो ऊपर वर्णित अनुसूचित जनजाति के पदों में शामिल हैं।

दैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)					उत्कृष्ट लिलाडी		
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सैनिक			
B/LV	HI	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM	GEN	SC	ST	
01	01	-	-	02	-	02	00
01	01	-	-	02	-	02	00

नोट-

- इन पदों पर केवल महिला अध्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं।
- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के पिछला अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। यदि अध्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अध्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में आपना चयन घाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अध्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जावेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विवार नहीं किया जायेगा।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्तराधि खिलाड़ी एवं दिव्यांगजनों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) होगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी वीज जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचना:-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अंति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अध्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अंति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अध्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्यर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अद्यतीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अप्राप्ति की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।

यदि किसी भर्ती वर्ग में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ग को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगमित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण यों प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथारिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्यर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

- राजस्थान के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षित पदों डेनु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) होगा। महिला अध्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी ये महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, विवाह स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अंति पिछड़ा वर्ग का नौन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परिवर्तका (विवाह-विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि पर्याप्त विधवा अध्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परिवर्तका (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परिवर्तका अध्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परिवर्तका दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी हासा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परिवर्तका महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/ठिकी प्रस्तुत करनी होगी। परिवर्तका महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/ठिकी इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।

- अंति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विवि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अंति पिछड़ा वर्ग में शामिल जारीयों (नौन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।

- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन डेनु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अंति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग) के केवल ये ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

- राजस्थान राज्य से मिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अंति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अध्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

10. बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अकेन करने पर ही उन्हे बारां जिले में रहरिया जाति के लिये राज्य सरकार को निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक / क-2 / 91 पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

11. **भूतपूर्व सैनिकों हेतु:-**

(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :-

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अहंक बना दे।

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत भद्र आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिविताया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिविताया व्यपगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक / क-2 / 84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का गूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

"कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने रक्षण प्राधिकारी से निशांत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, वह को लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे सन्मुक्त नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निशांत्रण प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व बयानित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिखिल कर तकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो गाह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुमति दिया जायेगा।"

"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अहंक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिखिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।"

यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी रिक्ति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मरा जायेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तिया व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।

किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रारिष्ठति (Status) खो देगा और यह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जायेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निन्म पद का अनुमत भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख बार ब्यूरों के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/बचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के पायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्क/संविदा/अस्थाई/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा।

12. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण धैर्यित (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/अनुशूलित जाति/अनुशूलित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आविष्कृत वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्यार्थी वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीय वर्गित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर ध्ययन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान—कार्यिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ी' से ऐसे खिलाड़ी अभिषेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने—

- उक्त सारणी के स्तरं संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तरं संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/वैयिकनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट / वैयिकनशिप का नाम
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सीफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/विश्व चैपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैपियनशिप

या

- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/वैयिकनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

- एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैपियनशिप/पैरा नेशनल चैपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

गोट— कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनको पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हो। यदि किसी आवेदक ने जान-हृषककर विना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो वो उह द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।

13. दिव्यांगजन (निःशक्तजन) को लिये :-

- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को ही आरक्षण का लाभ देय है:-

i. B/LV (Blindness/ Low vision)

ii. HI(Hearing Impairment)

iii. LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy

iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.

v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf-blindness in the posts indentified for each disabilities.

- b. दिव्यांगजन के लिये दर्शाएं गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी लेटिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अम्बर्थी जिस तर्फ (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- c. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त वैद्यमार्वा दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी विधि आगामी भर्ती वर्ष में ऊर्जवित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त वैद्यमार्वा दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तररपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलाया अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- d. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथारथान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। दिव्यांगजनप्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अतिम हिति तक का प्रस्तुत करना होगा।
- e. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित तरकार द्वारा निर्धारित विकितसा प्राविकारी के द्वारा प्रदत्त रखाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का रपट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यवित्रियों के नियोजन नियम के अनुसार नेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यता होने पर ही अम्बर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र भाना जाएगा।
- f. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(8) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबोधित सेवा नियमों में “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा आहित करने के लिए एक प्रशापन में घून्हाराम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहाँ कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।”;

4. अनुसूचित क्षेत्र के अम्बर्थीयों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अम्बर्थीयों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सदमार्वा निवासी हैं और जो स्थाय या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदमार्वा निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले विस्तीर्णवित से विवाह द्वारा संबोधित हैं और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदमार्वा निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 द्वारा आवेदन की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ती) नियम-2014 के अधीन होगा। जहाँ पर इन नियमों में रपट प्रावधान नहीं है, वहाँ पर राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998, यथा संशोधित के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम ने कार्मिक(क-2) विभाग ने अपने परिपत्र कमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.08.2016 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय ग्रन्तालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की चेबताईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विख्यापित (Rescinds) करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चय (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें। नोट-अनुसूचित क्षेत्र के अम्बर्थीयों के लिए बेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेशन, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क जगत कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन ने संशोधन की प्रक्रिया नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं रक्कीम साबधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

5. वेतनमान:- राज्य सरकार द्वारा देय सालवें वेतनमान के अनुसार पर्यवेक्षक (महिला) पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 07 निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आवेदनानुसार देय होगा।

अन्य शर्तें -

- (1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षीयां (Trainee) की परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदर्भ किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाती है।
- (2) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यवित्रियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन शृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भल्ते यथा मकान किराया भल्ता, मंहगाई भल्ता, शहरी वारिपूर्ति भल्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन शृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भल्ते नियमानुसार देय होंगे एवं रखाईकरण का पात्र होगा।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता—

(i) Graduate of a University established by law in India.

AND

(ii) Having one of the following or higher qualification in Computer Education :-

"O" or Higher Level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

OR

Certificate course on computer concept by NIELIT, New Delhi.

OR

Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Date Preparation and computer software (DPCS) certificate organized under National/State council or Vocational Training Scheme.

OR

Degree/Diploma/Certificate in computer Science/Computer application from a university established by law in India or from an institution recognized by the Government.

OR

Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with the computer Science/Computer Application as one of the subjects.

OR

Diploma in computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.

OR

"Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited".

(iii) देवनागरी लिपि में सिर्फी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आवश्यक नोट:—परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अहंता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपरिक्षित हो चुका/चुकी है या उपरिक्षित हो रहा/रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे—

1. जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपरिक्षित होने से पूर्व,
2. जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपरिक्षित होने से पूर्व,
3. जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा या चयनिक अध्यार्थी केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपरिक्षित होने से पूर्व,

समुचित चयन ऐजेन्सी को अपेक्षित शैक्षणिक अहंता लिखित परीक्षा की तिथी से पूर्व तक अर्जित कर सकने का संयुक्त प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अन्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वाहित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रदेश ले चुके होंगे एवं पद की वाहित योग्यता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

अन्य योग्यताएँ :

(1) स्वास्थ्य :—उक्त पद पर नर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में वाधा दाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आशेष्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मैडीकल जूरीरिट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह नियमित करता है।

(2) चरित्र :— सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाधार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और वो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन—पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले वो न हो और अन्यर्थी के रिस्टेदार द्वारा दिये हुये नहीं हों।

7. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
- (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
- (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यवित ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, चुगान्डा और समुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जापिया, मालदी, जैर और उच्चोमिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट:- परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का घाँटित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. आयु:- विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम सिविक के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। “जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु भी दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी।”

स्पष्टीकरण:- बोर्ड द्वारा पूर्व में पर्यवेक्षक (महिला) नवीं-2015 में आयु की गणना 01.01.2016 को गई थी, इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

राज्य सरकार ली अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और देय होगी :- “The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024.”

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट विन्न प्रकार देय होगी:-

1. अधिकतम आयु सीमा में-
 - (क) सामान्य वर्ग की महिला अमर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य विछाड़ा वर्ग/अति विछाड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अमर्थियों को, जो राजस्थान की मूल निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा से थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समझ आखिरी उपरिधित के समय तक पात्र कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जायेंगे।
3. आयोग के कार्य-सीत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की, जिनकी रिहित के अगाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, उपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तक जबकि भर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक् रूप से अनुपालना कर ली जाये और अहंता, चरित्र, विकल्पीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया आच्छी सेवाओं का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर दें।
4. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों/पंचायत समिति और जिला परिषद, राज्य सरकार के उपक्रम/कार्यपोरेशन के संबंध में सेवात्मक कर्मचारी जो अविद्यायी (Substantive) हसियत से कार्य कर रहे हैं की उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जन्ट अस्थाई नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
5. उपर विहित उपरी आयु सीमा में सामान्य प्रवर्ग के आगनवाली कार्यकर्ताओं के 10 वर्ष की और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य विछाड़ा वर्गों के आगनवाली कार्यकर्ताओं को 15 वर्ष की शिथिलता दी जायेगी, जो पर्येक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अन्यथा पात्र है।
6. विधायिका और विवाह-विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निरिचत की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

स्पष्टीकरण:- विधा महिला के मामले में उसे किसी सकाम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्षित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बाबत छूट दी जाएगी और यदि पारिशामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
8. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों ले लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के संबंध में राजस्थान रिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आगेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रौस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक रिविल करने

योग्य होगी। भूतपूर्व सौनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक /क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होगे।

9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के उपनियम 6-A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैंबगार्ड निःशक्ताजन अम्यार्थियों को उपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार उपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट-

- (क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जायेगी यदि वह बोर्ड कर्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अनियम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकायु का ढाँचे पर उसका आवेदन पत्र अस्तीकृत कर दिया जायेगा।
- (ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान महिला एवं यात्रा विभाग (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-1998 यथा संशोधित एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ग) उपरोक्त बिन्दु 8 की क्र.सं. 1 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात् अम्यार्थियों को उपरोक्त क्र.सं. 1 से 9 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

9. **पेंशन-**नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी।

10. **विवाह पंजीयन-**ज्ञासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

11. **पंजीयन शुल्क जमा करने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-**

- (क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकावारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के नियांरित ₹-मिल कियोरक, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटीएम, कम डेविट कार्ड एवं फ्रेंडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 21.02.2024 से दिनांक 21.03.2024 को रात्रि 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 21.02.2024 से दिनांक 21.03.2024 को रात्रि 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक नियक्त हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अनियम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

12. **परीक्षा आयोजन :-** पर्यावरक (महिला) के पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर अधारित परीक्षा (CBT) / लैबलेट अधारित परीक्षा (TBT) / ऑफलाईन (ओ.एम.आर.) अधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस याचिका के माध्यम से जलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के बास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

13. **प्रवेश पत्र:-** बोर्ड द्वारा समर्त अम्यार्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा ढाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं SSO ID व्याप्ति में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं Whatsapp मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

14. **अनापति प्रमाण पत्र के संबंध में :-** सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपकरणों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पर्याप्त ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच एवं दरतावेज सत्यापन के समय विभाग से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करनी होगी।

15. **नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-**

- (1) किसी भी ऐसे पुलष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने वा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आवार है।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुलष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आवार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह घोसनय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

- (4) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसको 1-6-2002 तक या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु
- दो से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है।
 - जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती हैं वहाँ संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
 - किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चयता से ग्रस्त हो।
 - कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विलम्ब नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरहित नहीं है, उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
 - इस उप-नियम के उपबंध किसी विवाह और विविधन-विवाह भटिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकरिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या काट-छाट किए हुए जाली दस्तावेज़ पेश करने या गलत बयान देने या नहत्वपूर्ण सूचना डिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रयोग ग्रात करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को कौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्यत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करें—

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट—राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुशूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर एवं नौन कीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें—

- आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर गिर्दशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन को नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में याही आवश्यक तमस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविधिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की विधि ने बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही नामते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का रपट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष वा लाभ विज्ञापिता पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना—पत्र पर विचार किया जाएगा।
- किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में बंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके विधि (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक सामाजिक नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
- बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी रवय आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविधियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना लहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश—पत्र जारी करने का यह अनिवार्य नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही नाम ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में की गयी प्रविष्टयां बोर्ड द्वारा सही नाम ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से व्यय होने की विधि में आवेदक को दिस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों

की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रतेकों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःछड़ा वर्ग/जाति पिछड़ा वर्ग एवं नूतनपूर्व सीनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता या पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर इदद की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी रखने अन्यथों की होगी।

7. अन्यार्थियों की सुविधा हेतु विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
8. **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर रक्कन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**

 - a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
 - b. आवेदक को नवीनतम ईंगीन फोटो (अधिकतम 01 माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल य अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
 - c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
 - d. फोटो में आवेदक का घेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जागह घेना चाहिए।
 - e. फोटो में आवेदक का घेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, घाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
 - f. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो छिपवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन इसमें पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
 - g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
 - h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
 - i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
 - j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
 - k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
 - l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपरित्थि पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
 9. **हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**

 - a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी छोड़ाइ एवं 2 सेमी ऊँचाइ के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पैन से हस्ताक्षर करें।
 - b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
 - c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को रक्कन करवाकर आयताकार बॉक्स तक प्रोप करने के पश्चात अपलोड करें।
 - d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपरित्थि पत्र पर किसी नये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
 - e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
 - f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
 - g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
 - h. हस्ताक्षर वाला आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
 - i. मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया नया हस्ताक्षर वाला फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष दिप्पणी:-

1. परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपतियां आंभन्तित की जायेगी। प्रत्येक आपति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु. जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपति आंभन्तित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैच्ज़र/रेलवे स्टेशन और रास्तों में टौडफोड, लूटपाट, हूडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी जापने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्थानी का पारदर्शी बालफैन, 25×25 सेमी. का एक फोटो।
4. (01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोबुक्स मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीनक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी द्वयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुशित साथनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुशित साथनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्भलित है।
5. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर साम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी द्वयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुशित साथनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुशित साथनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्भलित है।

- सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

- 17. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:-** बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापित दिनांक 14.07.2023 द्वारा यदि यिसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR स्क्रीन पर कोई का बटन दबाना होगा जिससे आधार/जनआधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन भरे। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन तबमिट कर चुका है तो ऐसी रिप्टिं में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को यदि आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने हैं तो पहले उसे OTR पेज पर आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करना होगा इससे उसे स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व में भरे गये आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध हो जायेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को यिसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निर्मानसार कर सकता है:-
- यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करवाना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है, शेष प्रविशिटियों में संशोधन किया जा सकेगा। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में ही संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात् शैक्षणिक योग्यता के कॉलेज में बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम, रोल नं., उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27.07.2023 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिये **One Time Registration (OTR)** में शैक्षणिक योग्यता में केवल नात्र एकवारीय संशोधन की अनुमति दी गयी है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर ले लें। अन्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन भरे। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन तबमिट कर चुका है तो ऐसी रिप्टिं में अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले, OTR पेज पर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा इससे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक योग्यता में वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
 - उक्त पदों पर भर्ती समान पात्रता परीक्षा (नातक स्तर) के माध्यम से की जा रही है। अतः आवेदित अभ्यर्थियों में से 15 गुणा सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को इस पद की परीक्षा में शामिल किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में ही संशोधन का अवसर दिया गया है, परीक्षा आयोजित होने के बाद संशोधन का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।
 - इसके पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- 18. ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया:-** बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया है तो ऐसे आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस के भीतर SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का अवसर कर My Recuitment Section के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के सम्बन्ध उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकें। विज्ञापन के अनुसार यांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवसर में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विकल्प बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त यिथि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
- 19. श्रुत लेखन की सुविधा:-** सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (विक्रीन (Blind) सूर्यनुसृती एवं अत्यवृद्धि न्यूनतम् 40 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्ता (जो बांह कटे होने या अंगुलियाँ नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अव्याकृत दुघटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह खुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध करने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंचलिक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के सम्बन्ध उपरिषद होकर यांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित एक प्रति केन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

- i. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन में दर्ज योग्यता के असहित अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिशी/डिप्लोमा को स्वीकार/मान्य नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक साक्षातीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में भरें।
- ii. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दरसावेजों की जांच उपरान्त अन्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।
- iii. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- iv. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण—पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण—पत्र के आधार पर किया जावेगा।
कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न प्रस्तुत जोड़ा गया है—
“यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ—पत्र लिखा जावें कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलता पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।”
- v. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण—पत्र दिशा—निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-

 1. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओर्डीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु किमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के द्वितीय सम्पत्ति—पत्र के आधार पर गान्यता दी जायेगी।
 2. किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापिता शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकारिता तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
 3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

- vi. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- vii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम य निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पिता के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- viii. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एक०११() /आ०८८/डीटीवीसी/सान्याअपि/१९/२८०४६ दिनांक ०६.०५.२०२२ के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए निर्धारित नापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापिता संलग्न शपथ—पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकारितम् ३ वर्ग के लिए किया जा सकता है।
- ix. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यता संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- x. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/एन थी सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

- xii. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी लोटे के पदों का लाभ देय होगा।
- xiii. विद्या श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज़ / साल्फ जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, घाबार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास / जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- xiv. परित्यक्ता / विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी को द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्टी / आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र नाम जायेगा।
- xv. शासन वो परिपत्र क्रमांक पं.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बाध्यनीय है।
- xvi. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xvii. अभ्यर्थी को अंतिम गैरक्षणिक रंगथा द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख / अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
- xviii. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आवश्यक संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राप्तिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक घारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में यादा / समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण / बाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्यक यिताग के परिपत्र क्रमांक प्रकार्यक / क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधाननुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
- xix. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपकरणों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संरचना में नियुक्त हो, उन्हे नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा / उक्त उपकरणों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अधार में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति को समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।
- xx. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
- xxi. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आवार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वर्ग आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की विधियों में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

- 21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:-** आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीकार / अधिजागर / बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये किन्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग / उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड / केन्द्राधीकार जो भी उचित समझे समरत कार्यवाही कर रखता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग / उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रदेश, प्रश्न-पत्र का कम्जा व प्रकल्पीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए बनीर बानून का प्रावधान

किया गया है। अनुचित साथनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर काशवास एवं रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति हासा फ़हयत्र या अधिनियम वर्तित अनुचित साथनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पौंच वर्ष के काशवास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, को दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि को लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

- 22. परीक्षा की रकीम एवं पाठ्यक्रम :—** पर्योक्षक (गहिला) के पदों पर गती हेतु परीक्षा की रकीम एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा प्राप्त होने पर यथा शीघ्र बोर्ड की वेबसाईट पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
- 23. बोर्ड की वेबसाईट :—** अन्यथी बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in एवं www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध तूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी बयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में रिवर र्याण्ट क्लब पर व्यवितरण रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र यथाहार संधिय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य यूथ प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

